

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, ब्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

ईमेल- secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/08/2023

क्रमांक/82/01/04/योजना/बीओसी/2023/150..... "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा छ0ग0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित "मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना" में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/82/01/04/योजना/बीओसी/2023/142 दिनांक 30.06.2023 के कण्डिका (ग) योजना का प्रावधान/देय हितलाम एवं पात्रता के उपबिन्दु (2) में उल्लेखित तालिका के सरल क्रमांक (2.6) में "पॉलिटेक्निक एवं डिप्लोमा कोर्स (यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से) में अध्ययन हेतु प्रवेश पर" के पश्चात् निम्नांकित अंतः स्थापित किया जाता है :-

"मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना":-

कण्डिका (ग) योजना का प्रावधान/देय हितलाम एवं पात्रता के उपबिन्दु (2) में उल्लेखित तालिका के सरल क्रमांक (2.6) में कक्षावार विवरण में "पॉलिटेक्निक एवं डिप्लोमा कोर्स (यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से) में अध्ययन हेतु प्रवेश पर" के पश्चात् "आई0आई0आई0टी0 (IIT)" कोर्स अंतः स्थापित किया जाता है

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।)

उक्त योजना में संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृष्ठांक/82/01/04/योजना/बीओसी/2023/2510-2525

नवा रायपुर, दिनांक 23/8/23

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्री जी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।

निरंतर.....2

3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
5. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
6. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
7. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
9. समस्त जिला कलेक्टर,(छ0ग0)।
10. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय(छ0ग0)।
11. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय(छ0ग0)।
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
13. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
15. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर तत्काल वेब साईट में अपलोड करने बाबत।
16. गार्ड फाईल।


 सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
 कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, ब्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

ईमेल- secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक... 10.10.2023

क्रमांक/82/01/04/योजना/बीओसी/2023/.....147..... "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा छ0ग0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित "मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना" में पूर्व में जारी अधिसूचना क्र0/82/01/04/योजना/बीओसी/2023/142 दिनांक 30.06.2023 के कण्डिका (ग) योजना का प्रावधान/देय हितलाभ एवं पात्रता के उपबिन्दु (2) के तालिका में (2.5) एवं कण्डिका (घ) योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज के उपबिन्दु (9) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :-

"मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना":-

(ग) योजना का प्रावधान/देय हितलाभ एवं पात्रता:-

क्र.	कक्षावार विवरण	वार्षिक प्रोत्साहन राशि/देय हितलाभ	पात्रता
2.5	छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की प्रदेश स्तरीय परीक्षा में मेरिट के टॉप टेन में आने वाले छात्र एवं छात्राओं हेतु प्रोत्साहन राशि	रुपये 1,00,000/-	प्रदेश स्तरीय परीक्षा में केवल मेरिट में प्रथम दस में आने वाले छात्र/छात्राओं को देय होगा एवं मंडल में 90 दिवस पूर्व पंजीयन हो।

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित वार्षिक प्रोत्साहन राशि/देय हितलाभ में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रतिस्थापित करता है -

क्र.	कक्षावार विवरण	वार्षिक प्रोत्साहन राशि/देय हितलाभ	पात्रता
2.5	छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की प्रदेश स्तरीय परीक्षा में मेरिट के टॉप टेन में आने वाले छात्र एवं छात्राओं हेतु प्रोत्साहन राशि	प्रोत्साहन राशि रुपये 1,00,000/- के अतिरिक्त राशि रु 1,00,000/- दो पहिया वाहन क्रय किए जाने हेतु अनुदान राशि देय होगा।	प्रदेश स्तरीय परीक्षा में केवल मेरिट में प्रथम दस में आने वाले छात्र/छात्राओं को देय होगा एवं मंडल में 90 दिवस पूर्व पंजीयन हो।

निरंतर.....2

(घ) योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :-

9. कक्षा दसवीं अथवा बारहवीं के मेरिट में प्रथम 10 में आने का माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा के स्थान पर निम्नांकित संशोधन प्रतिस्थापित करता है

9. कक्षा दसवीं अथवा बारहवीं के मेरिट में प्रथम 10 में आने का माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा दोपहिया वाहन अनुदान हेतु आर0सी0 बुक/कार्ड एवं छात्र/छात्रा का लर्निंग लाइसेंस/लायसेंस संलग्न करना अनिवार्य होगा अंतः स्थापित करता है।

टीप:-ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।)

उपरोक्त योजना में संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

(छ0ग0 शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)


(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण

कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

नवा रायपुर, दिनांक 10/04/23

पृष्ठांक0/82/01/04/योजना/बीओसी/2023/1544-1561
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. उप सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्री जी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
4. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
6. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
7. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
8. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।

निरंतर.....3

10. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
11. समस्त जिला कलेक्टर,(छ0ग0)।
12. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय(छ0ग0)।
13. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय(छ0ग0)।
14. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
15. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
17. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर तत्काल वेब साईट में अपलोड करने बाबत।
18. गार्ड फाईल।


21/1/2023
सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24, अटल नगर, नवा रायपुर (छग0)

ईमेल- secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक.....20.10.2023

क्रमांक/82/01/04/योजना/बीओसी/2023/.....142.....“भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996” सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित “मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना” में पूर्व में जारी समस्त, अधिसूचना क्रमांक/2012/49 दिनांक 02.02.2017, अधिसूचना क्रमांक 65 दिनांक 28.05.2018, अधिसूचना क्रमांक/82/01/04/योजना/बीओसी/2022/125 दिनांक 23.11.2022 एवं आदेश क्रमांक 147 दिनांक 07.06.2018 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है :-

(क) योजना का नाम :-

योजना का नाम “मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना” होगा।

(ख) योजना का उद्देश्य :-

मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी योजना के तहत अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मंडल द्वारा शिक्षा सहायता दी जाएगी।

(ग) योजना का प्रावधान/देय हितलाभ एवं पात्रता:-

1. योजना का लाभ प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों को मिलेगा।
2. योजना का लाभ शैक्षणिक वर्ष में केवल एक ही बार देय होगा।

स.क्र.	कक्षावार विवरण	वार्षिक प्रोत्साहन राशि/ देय हितलाभ		पात्रता
		छात्र	छात्रा	
2.1	कक्षा 10वीं एवं 12वीं हेतु प्रोत्साहन राशि	5,000	5,500	प्राप्तांक 75 प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत से अधिक हो एवं मंडल में 90 दिवस पूर्व पंजीयन हो। (वर्तमान में निर्धारित ग्रेड 75 के अनुरूप हो)
2.2	समस्त स्नातक शैक्षणिक कक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि	7,000	7,500	
2.3	समस्त स्नातकोत्तर शैक्षणिक कक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि	10,000	10,500	
2.4	समस्त व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रोफेशनल शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि	12,000	12,500	

निरंतर.....2

क्र.	कक्षावार विवरण	वार्षिक प्रोत्साहन राशि/देय हितलाभ	पात्रता
2.5	छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की प्रदेश स्तरीय परीक्षा में मेरिट के टॉप टेन में आने वाले छात्र एवं छात्राओं हेतु प्रोत्साहन राशि	रुपये 1,00,000/-	प्रदेश स्तरीय परीक्षा में केवल मेरिट में प्रथम दस में आने वाले छात्र/छात्राओं को देय होगा एवं मंडल में 90 दिवस पूर्व पंजीयन हो।
2.6	आईटीआई, आईआईटी, इंजीनियरिंग, बी०टेक, एम०टेक, बी०आर्क०, एम०बी०बी०एस०, बी०डी०एस०, बी०ए०एम०एस०, कृषि के समस्त कोर्स, बी०एड०, डी०एड०, एम०एड०, सी०पी०ई०डी०, बी०सी०ए०, एम०सी०ए०, बी०बी०ए, एम०बी०ए०, एल०एल०बी०, एल०एल०एम० मेडीकल, लॉ, डेन्टल एवं नर्सिंग कॉलेज, जीएनएम नर्सिंग, बी०एस०सी० नर्सिंग बी फार्मसी, डी-फार्मसी, पॉलिटेक्निक एवं डिप्लोमा कोर्स (यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से) में अध्ययन हेतु प्रवेश पर।	प्रत्येक शिक्षा सत्र की प्रवेश शुल्क समस्त शैक्षणिक शुल्क, छात्रावास में रहने एवं भोजन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति मंडल द्वारा किया जावेगा। यह प्रतिपूर्ति राशि अशासकीय संस्थाओं में उक्त विधाओं में प्रवेश लेने वाले हितग्राहियों के बच्चों को भी शासकीय संस्था में लागू शुल्क के बराबर प्रदाय किया जावेगा एवं प्रतिवर्ष कॉपी-किताब एवं स्टेशनरी हेतु रुपये 2000 मंडल द्वारा पृथक से देय होगा।	प्रतिशत/ग्रेड की बाध्यता नहीं होगी एवं मंडल में 90 दिवस पूर्व पंजीयन हो।
2.7	कंडिका 'ग'- योजना का प्रावधान' के बिन्दु (ii) के उपबिन्दु 2.6 में दी गई व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में विदेश में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति एवं अन्य सहायता राशि दी जाएगी।	<ol style="list-style-type: none"> 1. योजना अंतर्गत भारत के बाहर किसी भी देश में एक वर्षीय मास्टर कोर्स किए जाने हेतु सहायता प्रदान की जावेगी। 2. आईईएलटीएस/टीओईएफएल/उस देश में अध्ययन के लिए निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। एक बार का आईईएलटीएस/टीओईएफएल/उस देश में अध्ययन के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। 3. प्रत्येक शिक्षा सत्र की वास्तविक प्रवेश शुल्क अथवा अधिकतम राशि रु 50,00,000 (अक्षरी पचास लाख रु) के बराबर (उस देश के लिए निर्धारित करेंसी की अद्यतन दर पर) सहायता राशि दी जावेगी। शिक्षण शुल्क का भुगतान विद्यार्थियों के खाते में शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि शैक्षणिक संस्था के निर्धारित शुल्क भुगतान शेड्यूल के अनुसार संस्था में अध्ययन की निरंतरता का प्रमाण पत्र देने पर देय होगी। 4.निर्वाह भत्ता - संबंधित संस्थान के छात्रावास का वार्षिक वास्तविक शुल्क जो भी कम हो वार्षिक देय होगा, जो कि जिस शैक्षणिक संस्था में अध्ययन हेतु छात्र/छात्रा जा रहा है उस संस्था द्वारा प्रदर्शित देश विदेश में होने वाले मासिक व्यय पर आधारित होगा। 	प्रतिशत/ग्रेड की बाध्यता नहीं होगी तथा मंडल में 03 वर्ष पूर्व पंजीकृत हो।

	कक्षावार विवरण	वार्षिक प्रोत्साहन राशि/देय हितलाभ	पात्रता
2.7		<p>5. इसके अतिरिक्त वीजा शुल्क एवं बीमा प्रीमियम तथा निवास स्थान से विमानपत्तन तक जाने एवं वापसी का तृतीय श्रेणी ए0सी0 का रेल/बस किराया एवं शैक्षणिक संस्थान के निकटतम स्थान तक वायुमार्ग से जाने एवं वापसी का इकोनॉमी क्लास के वायुयान टिकट का वास्तविक किराया देय होगा।</p> <p>6. योजना का लाभ केवल एक बार देय होगा।</p>	

3. यदि किसी कारणवश छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययन पूर्ण करने के पूर्व अध्ययन छोड़ा जाता है तो हितग्राही द्वारा समस्त शिक्षण शुल्क की राशि मंडल को वापस करने हेतु बाध्य होगा।
4. विदेश में अध्ययन हेतु छात्र/छात्रा को किसी अन्य स्रोत (केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना) से लाभ प्राप्त होने की स्थिति में इस योजना की पात्रता नहीं होगी।
5. विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा सहायता के लिए निर्धारित देश विशेष में प्रवेश संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं प्रवेश हेतु योग्यता प्रमाण पत्र तथा कॉलेज में नियमित कक्षा लिये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही सहायता का लाभ देय होगा।
6. विश्वविद्यालय में चयन के बाद, आवेदक की प्रमाणिकता की जांच करने के लिए विभाग द्वारा एक गृह सत्यापन किया जाएगा। आवेदक के घर का दौरा करने और आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी की प्रमाणिकता को सत्यापित करने के लिए एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
7. हितग्राही प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में किसी एक कक्षा अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में उपरोक्त कंडिका (ग) के बिन्दु क्रमांक (ii) के प्रावधान अनुसार सारणी के सरल क्रमांक 2.1 से 2.7 तक में से किसी एक लाभकारी प्रावधान का चयन कर लाभ ले सकेगा।

(घ) योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :-

1. मंडल द्वारा जारी श्रमिक पंजीयन प्रमाण-पत्र की मूल स्कैन प्रति।
2. आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक) की मूल स्कैन प्रति।
3. हितग्राही द्वारा स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र की मूल स्कैन प्रति।
4. हितग्राही के आवेदन की तिथि से पूर्व में एक वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो का नियोजक प्रमाण-पत्र की मूल स्कैन प्रति।
5. विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा सहायता के लिए निर्धारित देश विशेष में प्रवेश संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं प्रवेश हेतु योग्यता प्रमाण पत्र (जहां लागू हो) की मूल स्कैन प्रति।



6. विगत वर्ष में उत्तीर्ण कक्षा की मूल अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. व्यवसायिक पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश शुल्क, समस्त शैक्षणिक शुल्क, छात्रावास शुल्क इत्यादि की पावती/देयक नियमानुसार संलग्न करना होगा।
8. वर्तमान सत्र में अध्ययनरत होने का प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
9. कक्षा दसवीं अथवा बारहवीं के मेरिट में प्रथम 10 में आने का माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

टीपः—ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(ड) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

1. योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे।
2. आवेदक स्वयं/श्रमेव जयते मोबाइल एप/ऑनलाईन विभागीय पोर्टल/संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय अथवा किसी भी लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
3. आवेदन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर जाँच/सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज हितग्राही द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
4. योजना के आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा।

(च) स्वीकृति का अधिकार :-

विदेश में अध्ययन के लिए शिक्षा सहायता हेतु विद्यार्थियों का चयन संबंधित जिला श्रम कार्यालय के द्वि-सदस्यीय समिति द्वारा हितग्राही से प्राप्त आवेदन के संबंध में निर्धारित प्रारूप में हितग्राही के घर एवं आर्थिक स्थिति स्थल निरीक्षण कर अनुसंशा सहित प्रस्ताव मंडल कार्यालय को प्रेषित करेंगे। प्राप्त प्रस्ताव पर मंडल द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति के अनुसंशा के आधार पर सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा स्वीकृत दिया जायेगा। चयनित हितग्राही से वायुयान परिवहन पर मूल टिकट, वीजा, पासपोर्ट इत्यादि की अग्रिम/संभावित व्यय संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जावेगा।

(छ) भुगतान की प्रक्रिया :-

1. योजना के स्वीकृति पश्चात् प्रोत्साहन राशि हितग्राही अथवा उनके पुत्र/पुत्रियों के खातों में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./डी.बी.टी.के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जावेगी।
2. विदेश में अध्ययन की स्थिति में शिक्षा सहायता राशि योजना स्वीकृति के पश्चात् संबंधित विश्वविद्यालय/अध्ययन श्रमिक द्वारा देय प्रतिपूर्ति राशि श्रमिक के खाते में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./डी.बी.टी. के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जावेगी।

(ज) योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण :-

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा।



(झ)योजना का प्रभावशीलन :-

यह योजना अधिसूचना जारी दिनांक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगी।

(छ0ग0 शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण


कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृष्ठांक0/82/01/04/योजना/बीओसी/2023/1286-1303 नवा रायपुर, दिनांक 30/6/23
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. उप सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्री जी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
4. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
6. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
7. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
8. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
10. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
11. समस्त जिला कलेक्टर,(छ0ग0)।
12. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय(छ0ग0)।
13. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय(छ0ग0)।
14. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
15. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

निरंतर.....6

16. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
17. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर तत्काल वेब साईट में अपलोड करने बाबत।
18. गार्ड फाईल।


30/6/2023
सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ,सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

ईमेल- secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/11/2022

क्रमांक/82/01/04/योजना/बीओसी/2022/125.....“भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996” सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित “मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना” में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 49 दिनांक 02.02.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक 65 दिनांक 28.05.2018 के कण्डिका (अ) के उपबिन्दु (ii)(6) डी-फार्मोंसी के पश्चात् निम्नांकित अंतः स्थापित किया जाता है :-

मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना :-

(अ) योजना का प्रावधान (ii)(6) – पॉलिटेक्निक एवं डिप्लोमा कोर्स(यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।)

(छ0ग0 शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)


सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृ0क्रमांक/82/01/04/योजना/बीओसी/2022/4965-4980 अटल नगर, दिनांक 23/11/2022
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, खण्ड-03, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
5. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल खण्ड-03, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।

6. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
7. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
9. समस्त, जिला कलेक्टर,(छ0ग0)।
10. समस्त, सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय(छ0ग0)।
11. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय(छ0ग0)।
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
13. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
15. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर तत्काल वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
16. गार्ड फाईल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।


 सचिव
 छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
 कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

पी0-3, सी0 244-45, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-27, नया रायपुर

Email-secretaryboc@gmail.com फोन नं0-0771-2971063

नया रायपुर, दिनांक 07/6/2018

// आदेश //


क्रमांक..... 147 / 2018 / छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तृतीय कार्यकाल की अष्टम बैठक दिनांक 25.04.2018 में लिए गए निर्णय अनुसार मंडल द्वारा संचालित योजना "मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना" के तहत पूर्व में अधिसूचना क्रमांक/2012/49 दिनांक 02.02.2017 के बिन्दु क्रमांक (ब) में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किया जाता है:-

मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना :-

(ब) योजना हेतु पात्रता :-

- (i) योजना का लाभ प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों को मिलेगा।
- (ii) पंजीकृत श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों में से ऐसे बच्चे जिसके प्राप्तांक 75 प्रतिशत से अधिक है वे बिन्दु क्रमांक "अ- योजना का प्रावधान" के उपबिन्दु 1 से 4 तक के योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।
- (iii) बिन्दु क्रमांक "अ-योजना का प्रावधान" के उपबिन्दु 05 में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा अयोजित कक्षा दसवी एवं बारहवीं की प्रदेश स्तरीय परीक्षा में केवल टॉप टेन में आने वाले छात्र एवं छात्रा को योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।
- (iv) बिन्दु क्रमांक "अ-योजना का प्रावधान" के उपबिन्दु 06 में प्रतिशत की बाध्यता नहीं होगी।
- (v) इस योजना के लाभ की पात्रता हितग्राहियों के पंजीयन के 90 दिवस के उपरांत होगी।

आदेश भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगा।


(पदुम सिंह एल्मा)
सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर
नया रायपुर, दिनांक 07/6/2018

पृ0क्रमांक/4637-43/2018/
प्रतिलिपि :-

1. माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नया रायपुर, (छ0ग0) को सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष सचिव सह श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर को ओर सूचनार्थ प्रेषित।

//2//

3. कलेक्टर, जिला-.....(छ0ग0) को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय..... आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. लेखा शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल मुख्यालय नया रायपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. एनआईसी शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल मुख्यालय नया रायपुर, की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है, कि उक्त आदेश को मंडल के वेबसाईट में अपलोड करें।
7. आदेश पत्रिका, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल मुख्यालय नया रायपुर।


सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी0-2, सी0 244-45, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-27, नया रायपुर

फोन नं0-0771-2971083 Email- secretaryboc@gmail.in

अधिसूचना


दिनांक 28/05/2018

क्रमांक.....65..... "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" में संचालित योजना क्रमांक 49, दिनांक 02-02-2017 "मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना" के अ(ii)(6) के नर्सिंग कालेज के पश्चात् निम्नांकित अंतःस्थापित किया जाता है।

मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना :-

(अ)(ii)(6) - GNM नर्सिंग, बी-फार्मसी तथा डी-फार्मसी

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)


28/5/18
(पदुम सिंह एल्मा)
सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

पृष्ठांकन क्र0 / / 4443-4451
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 28/5/18

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. मान0 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त सह विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)
5. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी(छ0ग0)
6. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (छ0ग0)
7. एनआईसी शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
8. लेखा शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर
9. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर
 पी.3 सी. 244, 245, सेक्टर 27, एच.एच.बी. रोड बालोबी नया रायपुर

अधिसूचना

दिनांक 02/02/17

कमांक/2012/49 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियम) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत पूर्व में जारी समस्त अधिसूचना/आदेश को शिथिल करते हुये निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है :-

मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना :-

(अ) योजना का प्रावधान :-

- (i) योजना का नाम "मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, होगा।
- (ii) कक्षा दसवी एवं बारहवी तथा उससे उच्च कक्षा हेतु "मेधावी प्रोत्साहन राशि" एक मुश्त देय होगी।

स.क.	कक्षावार विवरण	वार्षिक प्रोत्साहन राशि	
		छात्र	छात्रा
1.	कक्षा 10 वीं एवं 12वीं हेतु	5,000	5,500
2.	समस्त स्नातक कक्षा	7,000	7,500
3.	समस्त स्नातकोत्तर कक्षा	10,000	10,500
4.	समस्त व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रोफेशनल शिक्षा	12,000	12,500
5.	छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा दसवी एवं बारहवी की प्रदेश स्तरीय परीक्षा में मेरिट के टॉप टेन में आने वाले छात्र एवं छात्राओं हेतु	रूपये 1,00,000	
6.	शासकीय आईटीआई, आईआईटी, इंजीनियरिंग, मेडीकल, लॉ, डेंटल, एवं नर्सिंग कालेज में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं हेतु (यह सुविधा अशासकीय संस्थाओं में उक्त विधाओं में प्रवेश लेने वाले हितग्राहियों के बच्चों को भी शासकीय संस्था में लागू शुल्क के बराबर प्रदाय किया जावेगा)	प्रत्येक शिक्षा सत्र की प्रवेश शुल्क, समस्त शैक्षणिक शुल्क, छात्रावास में रहने एवं भोजन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति मण्डल द्वारा किया जावेगा एवं प्रतिवर्ष कापी-किताब एवं स्टेशनरी हेतु रूपये 2000 मंडल द्वारा पृथक से देय होगा ।	

- (iii) उक्त योजना में होने वाला सम्पूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा वहन किया जावेगा।
- (iv) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता :-

- (i) योजना का लाभ प्रदेश के पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों को मिलेगा।
- (ii) पंजीकृत श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों में से ऐसे बच्चे जो 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करें, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
- (iii) इस योजना के लाभ की पात्रता हितग्राहियों के पंजीयन के 90 दिवस के उपरांत होगी।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया-

- (i) योजना के तहत आवेदन किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कापी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (iii) योजना के आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा।
- (iv) योजना के तहत ऑन लाईन आवेदन करते समय, बैंक पासबुक, स्वयं का मोबाईल नंबर, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (v) आधार कार्ड नंबर देने की सहमति नियमानुसार देय होगा।
- (vi) विगत वर्ष में उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (vii) वर्तमान सत्र में अध्ययनरत होने का प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- (vi) कक्षा दसवी अथवा बारहवी के टॉप टेन में आने का माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी प्रमाण पत्र (जहां लागू हो) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(स) स्वीकृति का अधिकार :-

- (i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी / श्रम निरीक्षक / श्रम उप निरीक्षक को होगा।

(द) भुगतान की प्रक्रिया :-

- (i) योजना के स्वीकृति पश्चात् हितग्राही अथवा उनके पुत्र/पुत्रियों के खातों में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से राशि स्थानांतरित की जावेगी ।

(द) अन्य विवरण :-

- (i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा ।

टीप:- यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी ।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल रायपुर

रायपुर दिनांक 02/2/17

पृष्ठांकन क्र०/2012/2205-2214

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ०ग०)
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ०ग०)
3. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल, रायपुर (छ०ग०)
5. अध्यक्ष, छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ०ग०)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी
7. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
8. एन आई सी शाखा बीओसी बोर्ड
9. लेखा शाखा बीओसी बोर्ड
10. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, रायपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सचिव)

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल रायपुर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
माता गौरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर
अधिसूचना

दिनांक 01/06/2013

क्रमांक.....31..... "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा राज्य शासन के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-16/2011/16, रायुर, दिनांक 06-01-2012 मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना में निम्नानुसार अंतःस्थापित करती है-

मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना-

(अ) योजना के प्रावधान-

(ii) प्रत्येक कक्षा व पाठ्यक्रम के समक्ष उल्लेखित "पुरस्कार सहायता राशि" एक मुश्त देय होगा।

07	छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं एवं बारहवी की प्रदेश स्तरीय परीक्षा में मेरिट के टॉप टेन में आने वाले छात्र एवं छात्राओं हेतु	रूपये 1,00,000/-
08	शासकीय आईटीआई, आईआईटी, इंजीनियरिंग, मेडीकल, लॉ, डेन्टल एवं नर्सिंग कालेज में प्रवेश लेने वाले छात्र एवं छात्राओं हेतु	प्रत्येक शिक्षा सत्र की समस्त शैक्षणिक फीस मंडल द्वारा देय होगा।

उपरोक्त अधिसूचना भूतलक्षीय प्रभाव से दिनांक 01-04-2013 से प्रभावशील होगा।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

रायपुर, दिनांक 03/06/13

पृष्ठांकन क० / / 596-608
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
3. सचिव सह श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ०ग०)
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)

-13-

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

// अधिसूचना //

कमांक एफ 10-16/2011/16:- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है:-

मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहनयोजना:-

(अ) योजना का प्रावधान :-

- (I) योजना का नाम "मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, वर्ष 2011" होगा।
- (II) प्रत्येक कक्षा व पाठ्यक्रम के समक्ष उल्लेखित "पुरस्कार सहायता राशि" एक मुश्त देय होगी।

स.क्र.	कक्षावार विवरण	वार्षिक पुरस्कार राशि	
		छात्र	छात्रा
1.	कक्षा 1 से 5 तक	2,000	2,500
2.	कक्षा 6वीं से 8वीं	3,000	3,500
3.	9वीं से 12वीं	5,000	5,500
4.	समस्त स्नातक कक्षा	7,000	7,500
5.	समस्त स्नातकोत्तर कक्षा	10,000	10,500
6.	समस्त व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रोफेशनल शिक्षा	12,000	12,500

(III) उक्त योजना में होने वाला सम्पूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा वहन किया जावेगा।

(IV) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता :-

- (I) योजना का लाभ प्रदेश के पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों के बच्चों को मिलेगा।
- (II) पंजीकृत श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों में से ऐसे बच्चे जो 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करें, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
- (III) इस योजना के लाभ के पात्रता हितग्राहियों के पंजीयन के 90 दिवस के उपरांत होगी।

